न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.
पत्रावली संख्या : 17/24 (विविध प्रार्थना पत्र)
जीसीएमएस नम्बर : 2024/73

1. श्री बाबुलाल पिता डालु गुर्जर निवासी रठाणा तहसील घासा।

.................प्रार्थी

बनाम

1. श्री रामा पिता लाला गुर्जर निवासी रठाणा तहसील घासा।
2. श्री गोविन्द पिता गांगा गाडरी निवासी रठाणा तहसील घासा। मृतक

2/1 श्रीमती वदामीबाई पत्नी गोविन्द गाडरी निवासी रठाणा तहसील घासा।

2/2 श्री दल्ला पिता गोविन्द गाडरी निवासी रठाणा तहसील घासा।

2/3 श्री लेहरू पिता गोविन्द गाडरी निवासी रठाणा तहसील घासा।

2/4 श्री मोहन पिता गोविन्द गाडरी निवासी रठाणा तहसील घासा।

2/5 श्री माधुलाल पिता गोविन्द गाडरी निवासी रठाणा तहसील घासा।

2/6 श्री कैलाश पिता गोविन्द गाडरी निवासी रठाणा तहसील घासा।

2/7 कमला पुत्री गोविन्द गाडरी निवासी रठाणा तहसील घासा।

2/8 चुन्नीबाई पुत्री गोविन्द गाडरी निवासी रठाणा तहसील घासा।

3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीदार घासा, जिला–उदयपुर (राज.)
4. पटवारी पटवार हल्का नूरडा तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज.)

................विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री हिरालाल सालवी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 14.01.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा रठाना पटवार हल्का नूरडा तहसील घासा की आराजी नम्बर 2035/2014 रकबा 1.0117 हेक्टेयर उपरोक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में मुझ प्रार्थी के नाम पर सम्पूर्ण हिस्सा दर्ज [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि विपक्षी संख्या 1 से 3 उक्त वर्णित मुझ प्रार्थी के आराजी कृषि भूमि के पडौसी हैं। विपक्षी संख्या 1 आराजी संख्या 2040/2036 रकबा 0.2671 हेक्टेयर पूर्व दिशा के पडौसी है, विपक्षी संख्या 3 आराजी संख्या 1078 पश्चिम और दक्षिण दिशा के पडौसी हैं। विपक्षी संख्या 2 आराजी संख्या 1865/1078 रकबा 0.5261 उत्तर दिशा के पडौसी हैं।
3. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित मुझ प्रार्थी के खातेदारी की कृषि भूमि के विपक्षी संख्या 1 से 3 पडौसी है जिस वजह से विपक्षीगण हर साल वर्षा के समय लडाई झगडा करते है और मुझ प्रार्थी व मेरे परिवार को हमारी खातेदारी की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी करते है तथा प्रतिवर्ष बाड की मरम्मत करने के बहाने हमारी जमीन की तरफ बढ जाते है तथा सीमा के स्थाई निशान क्षत–विक्षत होने से सीमा बाबत् विवाद करते है और मुझ प्रार्थी एवं मेरे परिवारजन को हमारी उक्त कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग नहीं करने देते है और हमारे कब्जे काश्त में दखलन्दाजी कर व्यवधान पैदा करते है तथा हमारी बाड व बाड में खडे वृक्षों को भी नुकसान पहुंचाते है और विपक्षी संख्या 1, 2 धीरे धीरे मेरी जमीन की ओर बढते हुए मेरी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे है। जिसका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नहीं हैं।
4. यह कि मैं प्रार्थी अपनी सम्पूर्ण खातेदारी की उक्त जमीन पर काबिज हूं और मेरे परिवार सहित शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा हुं लेकिन विपक्षी संख्या 1 और 2 तक मेरी जमीन के पडौसी है वह हर समय सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं विपक्षी संख्या 1 और 2 मुझ प्रार्थी व मेरे परिवार को डरा धमका कर हमारी जमीन को नाजायज तरीके के काटने पर उतारू है इसलिए मुझ प्रार्थी को मेरी उक्त कृषि भूमि की पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशाओं की सीमा की पत्थरगढी कराना जरूरी हो गया है। इसलिए मुझ प्रार्थी की ओर से माननीय न्यायालय आपमें यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हैं।
5. यह कि मुझ प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र कारण दिनांक 23.11.2023 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने मेरे हिस्से की कृषि भूमि की सीमा को लेकर विवाद किया तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।
6. अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व निम्न आशय का आदेश फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा एवं दक्षिण दिशा की सीमा की पत्थरगढी कराई जाकर सीमांकन कराया जावें तथा विपक्षीगण को पाबंद किया जावे कि वो मुझ प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, वृक्ष नहीं काटे और मुझ प्रार्थी और मेरे परिवार को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Rundia
Date: 2025.03.07 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested

इसमें किसी प्रकार की रूकावट पैदा नहीं करे, न ही उक्त कार्य अपने नौकर चाकर एजेन्ट से ही करावे एवं मुझ प्रार्थी की खातेदारी की जमीन विपक्षीगण के कब्जे में पायी जावे तो उसका कब्जा भी मुझ प्रार्थी को दिलाया जावें।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1, 2/1 से 2/8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।
8. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकतरफा बहस पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा रठाना पटवार हल्का नूरडा तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 440 पर दर्ज आराजी नम्बर 2035/2014 रकबा 1.0117 हेक्टेयर भूमि का प्रार्थी तन्हा खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। उक्त आराजीयात में विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि की पत्थरगड़ी करवाना चाहता है। चुंकि प्रार्थी उक्त भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है, ऐसे में अपनी खातेदारी की भूमि का पत्थरगड़ी करवाने का प्रार्थी को पूर्ण अधिकार है अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।
9. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000/–रूपये शुल्क पर तहसीलदार घासा को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा रठाना पटवार हल्का नूरडा तहसील घासा जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 440 पर दर्ज आराजी नम्बर 2035/2014 रकबा 1.0117 हेक्टेयर भूमि के चारों दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण की उपस्थिति में की जावे। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।
10. तहसीलदार घासा को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
11. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.03.07 14:41:33 IST
Reason: SelfAttested